राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1664/2024

वीरम देव **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन सचिव (गृह), गृह मंत्रालय, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. डी.जी.पी., राजस्थान पुलिस, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर (राज.)।
4. पुलिस अधीक्षक, बूंदी (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.04.2024
आदेश की दिनांक : 23.04.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एस.राघव, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर पुनः विकल्प भरने का अवसर दिया जावे एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया अभ्यावेदन को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3926/2013 कुलदीप सिंह बनाम राज्य व अन्य के प्रकाश में निस्तारण किया जावे और आदेश दिनांक 22.12.2023 को अपास्त फरमाया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कांस्टेबल के पद पर दिनांक 25.11.1999 को हुई थी और अपीलार्थी वर्तमान में राजस्थान पुलिस विभाग में एएसआई के पद पर कार्यरत है। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियमों के अंतर्गत पदोन्नति न होने पर 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने

का प्रावधान है और अपीलार्थी की पदोन्नति न होने पर उसे प्रथम चयनित वेतनमान दिया गया, जो वेतन श्रृंखला 2200–4000 से कम थी। जबकि अपीलार्थी द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्राप्त करने का हकदार था। अपीलार्थी वर्ष 2019 में हैड कांस्टेबल एवं दिनांक 11.01.2022 को एएसआई के पद पर पदोन्नत हुआ और जबकि अपीलार्थी वर्ष 2017 से द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी था। सातवां वेतन आयोग के अंतर्गत अपीलार्थी से वेतन पुनर्निधारण के संबंध में विकल्प पत्र भरवाया गया। एसीपी स्कीम के तहत 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा जिसकी गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक से करते हुये, का लाभ दिये जाने का प्रावधान किया गया। अपीलार्थी द्वारा 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दिनांक 25.11.2017 से विकल्प पत्र प्रस्तुत किया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी के समान दूसरा कार्मिक अपीलार्थी से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा है। जबकि अपीलार्थी को इससे कम वेतन मिल रहा है। जबकि उक्त कार्मिक अपीलार्थी से कनिष्ठ है। इस प्रकार अपीलार्थी वरिष्ठ होने के बावजूद कम वेतन मिल रहा है, जो सेवा नियमों एवं विधि के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर पुनः विकल्प भरने का अवसर दिया जावे एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया अभ्यावेदन को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3926/2013 कुलदीप सिंह बनाम राज्य व अन्य के प्रकाश में निस्तारण किया जावे और आदेश दिनांक 22.12.2023 को अपास्त फरमाया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कांस्टेबल के पद पर दिनांक 25.11.1999 को हुई थी और अपीलार्थी वर्तमान में राजस्थान पुलिस विभाग में एएसआई के पद पर कार्यरत है।

परंतु अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य